संख्या– 2275/77–4–22–142एन/08टीसी

प्रेषक,

अरविन्द कुमार,
अपर मुख्य सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

मुख्य कार्यपालक अधिकारी,
समस्त औद्योगिक विकास प्राधिकरण।

औद्योगिक विकास अनुभाग–4 लखनऊ : दिनांक 20 जुलाई, 2022

विषयः–कोविड महामारी के दृष्टिगत सभी प्रकार की परियोजनाओं में बिना शुल्क समय विस्तारण के सम्बन्ध में निर्गत शासनादेश दिनांक 02.07.2020 द्वारा प्रदान की गयी अवधि के अतिरिक्त 06 माह का और निःशुल्क समय विस्तारण प्रदान किए जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक कोविड महामारी के दृष्टिगत सभी प्रकार की परियोजनाओं में बिना शुल्क समय विस्तारण के संबंध में निर्गत शासनादेश संख्या–1887/77–4–20–142एन./08टी.सी, दिनांक 02.07.2020 के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कोविड महामारी के लम्बी अवधि तक बने रहने के दृष्टिगत सभी औद्योगिक विकास प्राधिकरणों के अन्तर्गत सभी परियोजनाओं/परिसंपत्तियों के सम्बन्ध में विकासकर्ताओं/आवंटियों को अधिभोग हेतु पूर्व में प्रदत्त 06 माह के बिना शुल्क समय विस्तारण के अतिरिक्त 06 माह का और निःशुल्क समय विस्तारण निम्नवत् प्रदान किए जाने का निर्णय लिया गया हैः–

(i) जिन आवंटियों की लीज डीड का निष्पादन लॉकडाऊन प्रारम्भ होने की तिथि दिनांक 22.03.2020 के पूर्व हुआ है तथा उन्हें दिनांक 22.03.2020 से 21.03.2021 के बीच की अवधि के लिए अधिभोग हेतु अनुमन्य अवधि में समय विस्तारण विचारणीय है, तो उन्हें उक्त अवधि का समय विस्तारण निःशुल्क अनुमन्य होगा।

(ii) जिन आवंटियों की लीज डीड का निष्पादन दिनांक 22.03.2020 के पूर्व हुआ है तथा उन्हें अधिभोग हेतु अनुमन्यता की तिथि दिनांक 21.03.2021 के उपरान्त समाप्त हो रही है, तो उनकी अधिभोग हेतु अनुमन्य तिथि को पूर्व में कोविड महामारी के दृष्टिगत अनुमन्य 06 माह की निःशुल्क समयावधि को जोड़ कर कुल एक वर्ष के लिए बिना शुल्क विस्तारित कर दिया जाएगा।

(iii) जिन आवंटियों की लीज डीड का निष्पादन दिनांक 22.03.2020 से 21.03.2021 के बीच हुआ है उन्हें अनुमन्य अधिभोग की अंतिम तिथि में लीज डीड के निष्पादन की तिथि से दिनांक 21.03.2021 के बीच की

अंतर अवधि जोड़ते हुए अधिभोग हेतु अनुमन्यता की तिथि निर्धारित की जाएगी।

(iv) दिनांक 21.03.2021 के उपरान्त हुए लीज डीड में कोविड के आधार पर कोई अतिरिक्त निःशुल्क समयावधि अधिभोग हेतु अनुमन्य नहीं होगी।

(v) उपरोक्तानुसार एक वर्ष निःशुल्क समय विस्तारण का लाभ सभी प्रकार के आवंटियों को अनुमन्य किया जाएगा।

(vi) यदि किन्हीं आवंटियों द्वारा उपरोक्त अवधि (दिनांक 22.03.2020 से 21.03.2021) के बीच की अवधि का समय विस्तारण शुल्क जमा कराकर अधिभोग प्रमाण पत्र निर्गत करा लिया गया है अथवा शुल्क जमा कराने के उपरान्त अधिभोग प्रमाण पत्र निर्गमन हेतु लम्बित है, तो ऐसे प्रकरणों को पुनर्उद्घाटित नहीं किया जाएगा और न ही जमा धनराशि को प्रतिदेय (Refund) किया जाएगा।

(vii) उपरोक्त समय विस्तार उत्तर प्रदेश शासन के विधायी अनुभाग–01 द्वारा जारी उत्तर प्रदेश औद्योगिक क्षेत्र विकास (संशोधन) अध्यादेश, 2022 अधि सूचना संख्या–15/79–वि–01–22–02–क–03–2022, दिनांक 07.01.2022 के प्राविधानों के अन्तर्गत ही अनुमन्य होगा।

2. कृपया शासन द्वारा लिये गये उपरोक्त निर्णय का कियान्वयन सुनिश्चित कराने का कष्ट करें। इस सम्बन्ध में राज्य सरकार द्वारा कोई वित्तीय व्यय–भार वहन नहीं किया जायेगा और न ही कोई देयता सृजित होगी।

भवदीय,

(अरविन्द कुमार)
अपर मुख्य सचिव।

संख्या–2275 (1)/77–4–22 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1 अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त, उ0प्र0 शासन।
2 अपर मुख्य सचिव, वित्त विभाग, उ0प्र0 शासन।
3 गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(अनिल कुमार)
संयुक्त सचिव।